

कार्यालय थानाधिकारी महिला पुलिस थाना झालावाड़ राज0

क्रमांक:-जर्गे मेल

दिनांक: 07.09.2018

सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला झालावाड़


विषय:- मुकदमा नं0 0/18 धारा 363,376 आईपीसी व 5/6 पोक्सो एक्ट थाना महिला थाना झालावाड़ की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने बाबत।

महोदय,

वाक्यात मामला इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्री रणजीत पिता सुखमोहन जाति गोन्ड उम्र 30 साल मय पिडीता अपनी पुत्री संध्या बंटी के उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं रणजीत पिता सुखमोहन जाति गोन्ड उम्र 30 साल निवासी रंगमंच देवरी जिला छिन्दवाडा एमपी का रहने वाला हूँ। मेरी लडकी संध्या बन्टी उम्र 15 साल की दिनांक 9-8-18 को मेरे भाई का लडका संतकुमार जो भोपाल रहता है जिससे मिलने भोपाल रेल्वे स्टेशन पर पांच लडके मिले जो मुझे कार में जबरन बिठाकर जावर थाना इलाके के जंगल मे एक मकान मे बन्द करके रखा बन्टी नाम के लडके ने मेरी लडकी के साथ 14-08-18 तक बलात्कार किया फिर 15-08-18 को मोका पाकर संध्या होटल वाले के पास आई जंहा से पुलिस को खबर लगी तो जावर थाने की पुलिस आई संध्या को थाने लेकर गई। संध्या ने सारी बात बताई फिर झालावाड सीडब्ल्यूसी में पेश की जहाँ से नारी निकेतन कोटा में भेज दिया जहां से मेरे पास सुचना मिली जिसे मैं लेकर आया हूँ। संध्या ने मुझे सारी बात बताई है। रिपोर्ट पेश करता हूँ कानूनी कार्यवाही करने कृपा करे।

इत्यादि रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 0/18 धारा 363,376 आईपीसी, 5/6 पोक्सो एक्ट में दर्ज कर घटनास्थल भोपाल रेलवे स्टेशन एमपी का होने से बिना नम्बरी एफआईआर दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान हेतु एसएचओ जीआरपी रेलवे स्टेशन भोपाल को दिनांक 21.08.18 को जरिये विशेष वाहक से भिजवाई जा चुकी हैं।

प्रकरण हाजा की तथ्यात्मक रिपोर्ट अवलोकनार्थ श्रीमान की सेवा में पेश है।

भवदीय

थानाधिकारी
महिला थाना झालावाड़